कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) जिला बुरहानपुर म0प्र0

रूम नं. 29 संकुल कलेक्ट्रोरेट बुरहानपुर

e-mail : ddsw_bpr@rediffmail.com दूरभाष- कार्या.–07325–242158

क्रमांक / स्था / वि.भ.अ. / 2024 / 1026 बुरहानपुर, दिनांक 29/10/2024

प्रति,

आयुक्त,
जन सम्पर्क संचालनालय
मध्यप्रदेश बाणगंगा भोपाल

विषयः–सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला बुरहानपुर अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों हेतु रिक्त पदों की पूर्ति वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से करने बाबत् विज्ञापन प्रकाशन विषयक।

सन्दर्भः–आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय म0प्र0 भोपाल के पत्र क्र. 1678 / स्था. 1 / 233 / 2024 दिनांक 18 सितम्बर 2024

–0–0–

आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र दिनांक 18 सितम्बर 2024 द्वारा कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला बुरहानपुर की कार्यालयीन स्थापना मे तृतीय श्रेणी लिपिकीय वर्गीय सहायक ग्रेड–3 का सीधी भर्ती के नियमित वेतनमान अंतर्गत रिक्त पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कर पदपूर्ति वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है ।

अतः दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदपूर्ति वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से किये जाने हेतु विज्ञापन का प्ररूप संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि, कृपया उक्त विज्ञापन रोजगार और निर्माण , रोजगार समाचार एवं प्रदेश के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशित करवाने का कष्ट करे।

संलग्नः– विज्ञापन प्ररूप

कलेक्टर, जिला बुरहानपुर द्वारा अनुमोदित ।

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला बुरहानपुर, म0प्र0

पृष्ठां.क्र0 / सामा.न्या. / स.क. / 2024 / 1027 बुरहानपुर,दिनांक 29 अक्टूबर 2024

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर ।
3. आयुक्त, निःशक्तजन मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ ।
5. संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण इन्दौर संभाग इन्दौर सूचनार्थ।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु । कृपया उपरोक्त विज्ञापन को जिला बुरहानपुर की वेबासाइट पर प्रदर्शित करवाने का कष्ट करे ।
7. जिला रोजगार अधिकारी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु। विज्ञापन अनुसार कार्यालय मे पंजीकृत अर्हताधारी दिव्यांगजनों को सूचित कर कृत कार्यवाही हेतु अवगत करवाए।
8. कार्यालय कलेक्ट्रोरेट बुरहानपुर / जिला पंचायत बुरहानपुर / तहसील बुरहानपुर / जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र बुरहानपुर व कार्यालयीन की सूचना पटल पर चस्पा हेतु

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला बुरहानपुर, म0प्र0

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) जिला बुरहानपुर म०प्र०

रूम नं. 29 संकुल कलेक्ट्रोरेट बुरहानपुर
e-mail : ddsw_bpr@rediffmail.com दूरभाष- कार्या.–07325–242158

क्रमांक / स्था / वि.भ.अ. / 2024 / 1028 बुरहानपुर, दिनांक 29 / 10 / 2024

विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन के लिए
वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से की जाने वाली भर्ती हेतु विज्ञापन

आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय म0प्र0 भोपाल के पत्र क्र. 1678 / स्था.1 / 233 / 2024 दिनांक 18 सितम्बर 2024 के द्वारा कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला बुरहानपुर की कार्यालयीन स्थापना मे दिव्यांग व्यक्तियों के आरक्षण हेतु तृतीय श्रेणी लिपिकीय वर्गीय सहायक ग्रेड–3 का रिक्त एक पद दिव्यांगजन के लिये आरक्षित किया गया है ।

दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सहायक ग्रेड–3 के (नियमित) एक पद की पूर्ति वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से किये जाने हेतु इच्छुक अर्हताधारी आवेदकों का साक्षात्कार दिनांक **11 दिसम्बर 2024** वार बुधवारको समय 11:00 बजे पूर्वान्ह से जिला पंचायत बुरहानपुर के सभाकक्ष में आयोजित किया गया है। आवेदन हेतु पद की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु–सीमा एवं पद का वेतनमान, आवेदन का प्रारूप एवं अन्य आवश्यक जानकारी जिले की वेबसाइट https://burhanpur.nic.in/ पर उपलब्ध है।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला बुरहानपुर में सहायक ग्रेड–3 के पद पर कार्य हेतु इच्छुक अर्हताधारी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि एवं विकलांगता एवं अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन पत्र दिनांक **25 / 11 / 2024** को समय 05:30 बजे तक उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला बुरहानपुर 450331 के नाम से डाक द्वारा या कार्यालयीन समय में आवक शाखा में स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । डाक के माध्यम से विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण बुरहानपुर का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

कलेक्टर, जिला बुरहानपुर द्वारा अनुमोदित ।

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला बुरहानपुर, म0प्र0

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) जिला बुरहानपुर म०प्र०

रूम नं. 29 संकुल कलेक्ट्रोरेट बुरहानपुर

e-mail : ddsw_bpr@rediffmail.com दूरभाष- कार्या.–07325–242158

क्रमांक / स्था / वि.भ.अ. / 2024 /1029 बुरहानपुर, दिनांक 29 / 10 / 2024

विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन के लिए वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से की जाने वाली भर्ती हेतु विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–07–19 / 2019 / आ. प्र. / एक भोपाल. दिनांक 14 / 02 / 2024 एवं दिनांक 04 / 01 / 2024 के अनुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय म0प्र0 भोपाल के पत्र क्र. 1678 / स्था. 1 / 233 / 2024 दिनांक 18 सितम्बर 2024 के द्वारा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला बुरहानपुर की कार्यालयीन स्थापना मे दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सहायक ग्रेड–3 के (नियमित) एक पद की पूर्ति अनारक्षित (UR) के उम्मीदवार से वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से की जाना है। आवेदन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन पत्र विहित प्रारूप में दिनांक **25 / 11 / 2024** को कार्यालयीन समय **05:30** बजे तक उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला बुरहानपुर 450331 के नाम से डाक द्वारा प्रेषित करें या कार्यालयीन समय में आवक शाखा में स्वीकार किये जायेंगे। डाक के माध्यम से विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण बुरहानपुर का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, रिक्त पद का विवरण वेतनमान, निर्धारित शैक्षिणक योग्यता. अन्य अर्हतायें एवं वॉक–इनइन्टरव्यू के लिये नियत दिनांक एवं समय की जानकारी निम्नानुसार हैः–

श्रेणी / पदनाम	वेतनमान	दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्त पद		शैक्षणिक अर्हता	वॉक–इन–इन्टरव्यू हेतु नियत दिनांक एवं समय
1	2	3	4	5	6
तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड–3	लेवल 4 19500–62000	दृष्टिबाधित (अनारक्षित वर्ग)	01	1 / मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित (10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा पूर्वान्ह से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । 2 / मान्यता प्राप्त विश्व –विद्यालय / संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा / सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 3 / कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणी–करण परीक्षा (CPCT) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं हिन्दी टंकण में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।	दिनांक **11 / 12 / 2024** वार बुधवार को समय 11:00 बजे पूर्वान्ह स्थान जिला पंचायत सभागृह बुरहानपुर

निरन्तर.... 02 पर

अन्य शर्तेः–

1. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेज सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अस्पष्ठ व अपठनीय दस्तावेज मान्य नही होगे ।
3. दिनांक 01/03/2024 की स्थिति में आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होगी । अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार होगी ।
4. 40 प्रतिशत या अधिक दृष्टिबाधित दिव्यांगताधारी अभ्यार्थी आवेदन कर सकेगें। निःशक्तता का डिजीटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा । यूडीआईडी कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगां।
5. आवेदक को विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व कर लिया होगा उसे उक्त पद हेतु अयोग्य माना जायेगा ।
6. दिनांक 26.01.2000 के पश्चात् शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह करने वाले उम्मीदवार आवेन करने के पात्र नही होगे ।
7. जिस आवेदक को 02 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तक ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
8. आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंयीजन होना अनिवार्य है ।
9. शासकीय संस्था/निगम/मण्डल में कार्यरत आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।
10. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी 3–15/2012/1/3 भोपाल, दिनांक 24/11/2012 अनुसार चयनित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जायेगा, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी एवं प्रतीक्षा सूची अनुसार वरीयता क्रम में आने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी ।
11. आवेदक को वॉक–इन–इन्टरव्य के समय दस्तावेज/प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना/दिखाना अनिवार्य है। आवेद पत्रों के समस्त कालमों की पूर्ति तथा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की स्पष्ट प्रति प्रस्तुत करना होगां।
12. उम्मीदवार का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत अर्हकारी/शैक्षणिक प्रमाण पत्रों मे प्राप्तांको के आधार पर तथा अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर मैरिट सूची तैयार की जावेगी ।
13. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार तीन वर्ष की परिवीक्षा पर प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित प्रशिक्षण मे भाग लेना अनिवार्य होगां।
14. आवेदक की ई–मेल आई.डी.......................................मोबाइल नम्बर........................ देना अनिवार्य है ।
15. निर्धारित योग्यता से कम योग्यता, मापदण्ड की शर्ते पूर्ण न करने अथवा अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति मे आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगां। जिसके संबंध मे आवेदक को अलग से कोई सूचना नही दी जावेगी ।
16. आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण/असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते है तो उसी आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये वगैर आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा ।

निरन्तर...4

17. आवेदक का चयन वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से किया जावेगा, जिसकी सूचना उनके आवेदन पत्र में दर्शाये गये वर्तमान पते पर एवं ई–मेल के माध्यम से दी जावेगी ।
18. भर्ती प्रक्रिया से संबंधित शर्ते/नियमों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न की जाकर जिले की वेबसाइट https://burhanpur.nic.in/ पर पर अपलोड की जायेगी ।
19. विवाद की स्थिति होने अथवा नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण), जिला बुरहानपुर म0प्र0 के पास सुरक्षित होंगे ।

कलेक्टर, जिला बुरहानपुर द्वारा अनुमोदित ।

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
जिला बुरहानपुर